

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 48/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1-भुरा पिता गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-मोहन पिता गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-माधु पिता गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-बालु पिता गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-बदामी पुत्री गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-लहरी पुत्री गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-कमला पुत्री गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-सुगना पुत्री गिरधारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

- 1-मांगुदास पिता बालुदास बैरागी नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-बगतावर पिता मोती लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-नारायण पिता हमीर लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-नारु पिता लच्छु सुथार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-शंकर पिता छोगा लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-लेहरू पिता छोगा लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-किशन पिता हजारी लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-रामसिंह पिता मिठुदान चारण नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9-रामा पिता गोकल भील नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10-बाली पत्नि रामपुरी गुसाई नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11-धीसु पिता पेमा लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 12-मदन पिता छोगा लुहार नि० बाड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 30.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया के तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे स्थित खाता संख्या 236 मे अंकित आराजी संख्या 2240/286 रकबा 0.36 हे०, आराजी संख्या 2242/287 रकबा 0.09 हे०, आराजी संख्या 288 रकबा 0.47 हे०, आराजी संख्या 2244/295 रकबा 0.64 हे०, आराजी संख्या 2246/296 रकबा 0.13 हे०, आराजी संख्या 537


कबा 0.12 हे0, आराजी संख्या 548 रकबा 0.29 हे0, आराजी संख्या 558 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 564 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 565 रकबा 0.18 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.66 हे0 भूमिया तथा खाता संख्या 73 मे प्रार्थीण के नाम अंकित आराजी संख्या 2238/533 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हे0 स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात मे मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आये दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी की कृषि आराजियात मे दखलनदाजी करते रहते है व विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की भूमि की थोहर की बाड़ को काटकर प्रार्थीगण की भूमि मे कब्जा करना शुरू कर दिया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया फिर भी विपक्षीगण नही मान रहे है जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत कहा परन्तु विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहते है व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत दिनांक 09.04.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 25.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बाड़ी पटवार हल्का बागोलिया के तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित खाता संख्या 236 मे अंकित आराजी संख्या 2240/286 रकबा 0.36 हे0, आराजी संख्या 2242/287 रकबा 0.09 हे0, आराजी संख्या 288 रकबा 0.47 हे0, आराजी संख्या 2244/295 रकबा 0.64 हे0, आराजी संख्या 2246/296 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 537 रकबा 0.12 हे0, आराजी संख्या 548 रकबा 0.29 हे0, आराजी संख्या 558 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 564 रकबा 0.13 हे0, आराजी संख्या 565 रकबा 0.18 हे0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.66 हे0 भूमिया तथा खाता संख्या 73 मे प्रार्थीण के नाम अंकित आराजी संख्या 2238/533 रकबा 0.06 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हे0 स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवे। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/- अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1200/- अक्षरे एक हजार दो

की रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

  
साधुराम जाट  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा